

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक:- मुसप्र/2019/1081

दिनांक:- १३/१२/२०१९

कार्यालय आदेश

राजस्थान आवासन मण्डल की 239वीं बैठक दिनांक 08.11.2019 के बिन्दु संख्या 239.27 के निर्णय अनुसार भीलवाडा खण्ड की गुलाबपुरा आवासीय योजना, में 2 आवासों को उप आवासन आयुक्त वृत्त-उदयपुर एवं अतिरिक्त मुख्य अभियंता-द्वितीय, जोधपुर द्वारा ई-ऑक्शन के माध्यम से 0-25 प्रतिशत र्स्लेब में निस्तारण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। उप आवासन आयुक्त वृत्त-उदयपुर एवं अतिरिक्त मुख्य अभियंता-द्वितीय, जोधपुर की अनुशंसा के आधार पर प्राप्त प्रस्ताव अनुसार ई-ऑक्शन में 0-25 प्रतिशत ऋणात्मक वर्तमान आरक्षित दर में निस्तारण की स्वीकृति एतद द्वारा प्रदान की जाती है। जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. स.	योजना का नाम	आय वर्ग	आवास संख्या	कुल आवास
1.	गुलाबपुरा	अल्प आय वर्ग	2-बी-54	01
2.	गुलाबपुरा	अल्प आय वर्ग	3-बी-07	01
			कुल	2

संबंधित उप आवासन आयुक्त एवं अतिरिक्त मुख्य अभियंता द्वारा उक्त आवास/फ्लेटों का निस्तारण न्यूनतम ऋणात्मक वर्तमान आरक्षित दर में 0-25 प्रतिशत के Slab में रखते हुए ई-ऑक्शन के तहत मण्डल द्वारा जारी कार्यालय आदेश क्रमांक 164 दिनांक 21.08.19 में निर्धारित शर्तों के अनुसार निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करेगें।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित हैं।

कौर

(कश्मी कौर)
मुख्य सम्पदा प्रबन्धक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त महो. राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
- मुख्य अभियन्ता-मुख्यालय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
- अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता- द्वितीय, रा० आ० मा०, जोधपुर।
- निजी सचिव-वित्तीय सलाहकार, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
- अति० निजी सचिव-मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, रा०आ०म० जयपुर।
- उप आवासन आयुक्त, रा०आ०म०, वृत्त उदयपुर।
- आवासीय अभियन्ता, खण्ड भीलवाडा रा०आ०म० भीलवाडा।
- संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), रा.आ.म., जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाइट पर डलवायें व सभी संबंधित उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता को मेल करें।
- प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु०), रा०आ०म०, जयपुर।
- रक्षित पत्रावली।

कौर

मुख्य सम्पदा प्रबन्धक